

संख्या 2/2/2010-प्रशा.

भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली दिनांक ७ सितम्बर, 2013

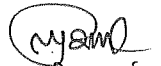
कार्यालय आदेश संख्या 809/2013

यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त सचिव (प्रशा.) / विशेष सचिव जल संसाधन और आयुक्त (पीआर) की अनुपस्थिति के दौरान निम्नलिखित कार्य आवंटन आगामी आदेशों तक इस प्रकार होगा :-

क्र.सं.	संबंधित विषय	कार्य आवंटन
1.	सतर्कता	सचिव (जल संसाधन)
2.	भूजल (स्था.)	
3.	राष्ट्रीय जल मिशन	
4.	पीएसयू	
5.	सामान्य प्रशासन एवं प्रशासन अनुभाग तथा सीडब्ल्यूसी मुख्यालय संबंधी विषय	संयुक्त सचिव (पीपी) के माध्यम से
6.	भूजल (तकनीकी) / समन्वय / संसद संबंधी मामले	आयुक्त (एसपी) के माध्यम से
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास	आयुक्त (बी एवं बी) के माध्यम से
8.	निदेशक (आईईसी)	संयुक्त सचिव (पीपी) के माध्यम से

2. कावेरी, मुल्ला पेरियार, पोलावरम संबंधी फाइलें / मामले, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद संबंधी उच्चतम न्यायालय का आदेश, बभाली बैराज और केरल तथा तमिलनाडु के बीच अन्य मुद्दे पीआर विंग द्वारा आयुक्त (एसपी) के माध्यम से तथा अन्य मामले आर्थिक सलाहकार के माध्यम से ।

3. इसे सचिव जल संसाधन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।


(एल.पी. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष -23738126

ईमेल :- usadmin-mowr@nic.in

सेवा में

1. सभी संबंधित अधिकारी ।
2. जल संसाधन मंत्रालय के सभी विंग प्रमुख ।
3. जल संसाधन मंत्रालय के सभी अधिकारी / अनुभाग / एकक ।

4. जल संसाधन मंत्रालय के सभी संगठन ।
5. रोकड़ /सामान्य प्रशासन/ सतर्कता अनुभाग, जल संसाधन मंत्रालय ।
6. एपीएआर फोल्डर ।
- ✓ 7. एनआईसी, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. मंत्री (जल संसाधन) के निजी सचिव ।
2. सचिव (जल संसाधन) के निजी सचिव / संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव / संयुक्त सचिव (पीपी) के निजी सचिव / संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जल संसाधन) के निजी सचिव/ आयुक्त (एसपी) के निजी सचिव / आयुक्त (बी एवं बी) के निजी सचिव / आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव, जल संसाधन मंत्रालय ।